1482

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आगरा।

पत्रॉक 1314/33–1 मथुराः :दिनांकः 15, सितम्बर, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा ।

विषय :– जनपद आगरा में आगरा जल सम्पूर्ति (गंगाजल प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत बॉईपुर आरक्षित वन क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि जनपद आगरा में आगरा जल सम्पूर्ति (गंगाजल प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर से जीवनी मण्डी वाटर वर्क्स तक राइजिंग मैन बिछाने हेतु 1.9516 हे0 आरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/46/2008/एफ0सी0/54, दिनांक 11.04.2008, 8बी/यू0पी0/08/46/2008/एफ0सी0/177 दिनांक 01.05.2008, तथा उ0प्र0शासन वन अनुभाग–2 का शासनादेश संख्या–2064/14–2–2008–700(45)/2008, दिनांक 12.06.2008 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था जल निगम उ0प्र0, गंगाजल परियोजना इकाई, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा बॉईपुर रेंज के बाबरपुर, बॉईपुर एवं मऊ वन ब्लॉकों की 1.948 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 की 0.0036 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल वन भूमि 1.9516 हे0 पर गैरवानिकी कार्य किये जाने एवं वृक्ष काटने की अनुमति निर्गत की गई ।

प्रस्तावित परियोजना के कियान्वयन के दौरान उल्लंघन की जांच उप प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा से कराई गई । जो कि उनके द्वारा अपने पत्रांक 576/33–1 दिनांक 09.09..2017 से उपलब्ध कराई गई । जॉच रिपोर्ट निम्न प्रकार है :–

स्थलीय सत्यापन हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी बांईपुर श्री देवेन्द्र सिंह, सेक्शन अधिकारी श्री सरवीर भारती उपराजिक, श्री रामवीर सिंह वनरक्षक, श्री धर्मवीर सिंह वनरक्षक, व श्री शिव सिंह वनरक्षक के साथ गंगा जल परियोजनान्तर्गत वन क्षेत्र में कराये जा रहे कार्यो का निरीक्षण दि0 22.08.2017 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बांईपुर रेंज के बाबरपुर वन ब्लाक, बांईपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक में वन मार्ग जिसकी चौड़ाई नक्शे के अनुसार 8 मीटर है के किनारे जल निगम के द्वारा कार्य कराया गया। उत्तर प्रदेश जल निगम का कार्य अभी कुछ जगह पर पूर्ण नही हुआ है। स्थनीय निरीक्षण में पाया गया कि कार्यदायी संस्था के द्वारा अनुमन्य क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में कार्य के दौरान विद्यमान शस्य को क्षति पहुचाई गई। क्षतिग्रस्त शस्य के आंकलन के लिये परियोजना क्षेत्र का निरीक्षण किया गया कहीं पर कोई बूट नही पाया गया। क्षतिग्रस्त क्षेत्र के सनिकट क्षेत्र में ज्यूलीफ्लोरा (बिलायती बबूल) की झाड़िया खड़ी हुई जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त क्षेत्र में कार्यदायी संस्था के द्वारा ज्यूलीफ्लोरा की झाड़ी/स्थानीय वनस्पति को क्षति पहुँचाई गई है। वृक्षों का अवैध कटान नही पाया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी बांईपुर व अन्य स्टाफ द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा आसपास की वनस्पति को नुकशान करने पर एच–2 केस संख्या–02/बांईपुर/2016–17 दि0 20.06.2016 (0–1 व्यास वर्ग के 09 प्रोसोपिस के पेड़ों को नष्ट किया गया जिसको रू0 1400.00 प्रतिकर पर प्रशमित किया गया), एच–2 केस संख्या 08/बांईपुर/2016–17 दि0 21.06.2016 (0–1 व्यास वर्ग के 09 प्रोसोपिस के पेड़ों को नष्ट किया गया जिसको रू0 5000.00 प्रतिकर पर प्रशमित किया गया), एच–2 केस संख्या 03/बांईपुर/2017–18 दि0 01.08.2017 (0–1 व्यास वर्ग के 09 प्रोसोपिस के पेड़ों को नष्ट किया गया) जारी किए गए। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा के पत्रांक 615/22–20 दि0 03.08.2017 के कम में मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा जल निगम का कार्य रूकवाया गया एवं एच–2 केस संख्या–04/बांईपुर/2017–18 दि0 04.08.2017 (प्रोसोपिस की झाड़ियों को नष्ट करना) निर्गत किया गया। निरीक्षण के दौरान मऊ वन ब्लाक में वन मार्ग की एक पुलिया को क्षति पहुचाई गई।

जल निगम द्वारा नष्ट किए गए शस्य का आंकलन क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 47/22–1 दि0 10.08. [illegible] द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका स्थलीय सत्यापन मौके पर किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत औसत लम्बाई एवं चौड़ाई की माप की गई जो कुल 127200 वर्ग मीटर है। विवरण निम्न प्रकार है:–

1	1–लम्बाई 100 मी0, चौडाई 22 मी0 = 2200 मी0 2–लम्बाई 300 मी0, चौडाई 30 मी0 = 9000 मी0 3–लम्बाई 5800 मी0, चौडाई 20 मी0 =116000 मी0 **कुल लम्बाई 6200 मी0, चौडाई .... मी0 =127200 वर्ग मी0**	127200 वर्ग मीटर
2	वन मार्ग 6200 मीटर X 8 मीटर चौड़ी की नाप = 49600 वर्ग मीटर कम करने पर	(–) 49600 वर्ग मीटर
3	6200 मीटर में 2.25 मीटर नाली खोदकर पाइप डाला गया 6200X2.25=13950 वर्ग मीटर	(–) 13950 वर्ग मीटर
4	इस प्रकार अतिरिक्त क्षेत्र की माप जंगल वनस्पति को क्षति पहुचाई गयी	63650 वर्ग मीटर

इस प्रकार जल निगम के कर्मचारियों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना क्षेत्र में प्रोसोपिस के कुल 27 पेड़ 0–1 व्यास वर्ग के नष्ट किए गए, वन मार्ग की एक पुलिया को क्षति पहुचाई गई एवं 63650 वर्ग मीटर में मशीनों से मिट्टी डालकर वनस्पति व जंगल झाड़ी को क्षति पहुचाई गयी है जो कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है ।

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्थायी आदेश पत्रांक–प–35/11–2, दिनांक 03.05.2005 के कम में निम्न बिन्दुओं पर सूचना निम्न प्रकार है :–

1.	स्थल का विस्तृत विवरण, भूमि का क्षेत्रफल, मानचित्र एवं अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पति का विवरण ।	आगरा वन प्रभाग की बॉईपुर रेंज के अन्तर्गत मऊ, बाबरपुर तथा बॉईपुर वन ब्लाक में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत 1.9516 हे0 पर गैर वानिकी कार्य के अतिरिक्त 6.3650 हे0 आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य अतिरिक्त रूप से किया गया है ।
2.	रिपोर्ट एक स्वतः पूर्ण टिप्पणी में वर्णित की जाएगी और उसकी पुष्टि में यह दस्तावेज भेजे जाएंगे, जिसमें खासकर उप अधिकारियों के नाम और पदनाम होगें जो प्रथम दृष्टया अधिनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं ।	1–श्री राजेश कुमार पंकज, परियोजना प्रबन्धक, गंगाजल परियोजना, उ0प्र0 जल निगम इकाई, आगरा । 2–श्री विजय कुमार, अवर अभियन्ता, गंगाजल परियोजना, उ0प्र0जल निगम इकाई, आगरा । 3–श्री अखिलेश सिंह, जूनियर अभियन्ता, गंगाजल परियोजना, उ0प्र0जल निगम इकाई, आगरा ।
3.	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को रोकने के लिए सम्बन्धित प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उठाये गये कदम का विवरण ।	दिनांक 3.8.2017 को प्रकरण संज्ञान में आने के उपरान्त सर्वप्रथम स्थल पर कार्य को रूकवाया गया । प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उप प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा को स्थल की जांच करने के निर्देश जारी करने के उपरान्त प्राप्त जॉच रिर्पोट के आधार पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी को नोटिस जारी किया गया ।
4.	यदि किसी भूल–चूक जिसके कारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ हो और उत्तरदायित्व निर्धारित कर पाना सम्भव न हो तो सम्बन्धित कागजातों सहित एक पूर्ण स्पष्टीकरण रिपोर्ट के साथ प्रेषित की जाएगी ।	प्रस्तावित परियोजना में वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति प्राप्त थी, परन्तु कार्य के दौरान 6.3650 हे0 पर अतिरिक्त कार्य किया गया ।

भवदीय,

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,आगरा ।

पत्रांक 1314 / दिनांकित ।

1– प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

2– प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उ0प्र0,लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें ।

3– प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,आगरा ।